प्रेमलता @सुनीता बनाम।

नसीब बी. ई. ई. और ओ. आर. एस.

(सिविल अपील संख्या 2022 की 2055-2056) 23 मार्च, 2022

/

[न्यायमूर्ति एम**.** आर**.** शाह और न्यायमूर्ति बी**.** वी**.** नागरत्ना।**]**

अनुमोदन और खंडन-वादी-अपीलकर्ता ने राजस्व प्राधिकरण के समक्ष एस के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की।250 म. प्र. भूमि राजस्व संहिता, 1959 (एम. पी. एल. आर. सी.)-प्रतिवादी-प्रत्यर्थियों ने मामले से निपटने के लिए राजस्व प्राधिकरण के विवादित अधिकार क्षेत्र-तहसीलदार ने एस. के अंतर्गत आवेदन को खारिज कर दिया।250 यह अभिनिर्धारित करते हुए कि विवाद स्वामित्व के संबंध में था और इसलिए, राजस्व प्राधिकरण के पास एम. पी. एल. आर. सी. के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र नहीं होगा-उक्त आदेश की पुष्टि अपीलीय प्राधिकरण द्वारा की गई थी-इसके बाद, अपीलार्थी ने दीवानी न्यायालय के समक्ष मुकदमा दायर किया, जहां प्रत्यर्थियों ने राजस्व प्राधिकरण के समक्ष उनके द्वारा लिए गए निर्णय के विपरीत रुख अपनाया और 7 आर. के अंतर्गत आवेदन दायर किया।11 मुकदमे को इस आधार पर खारिज करने के लिए कि दीवानी अदालत को मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा-दीवानी अदालत ने आवेदन को खारिज कर दिया-हालांकि, संशोधन पर, उच्च न्यायालय ने या 7 आर के अंतर्गत आवेदन को अनुज्ञात ।11 और एस को ध्यान में रखते हुए ऐसा माना।257 एम. पी. एल. आर. सी. का दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वर्जित है-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाःप्रत्यर्थियों अंतर्गत दो अलग-अलग प्राधिकरणों/अदालतों के समक्ष दो विरोधाभासी रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है-उन्हें उनकी इस आपत्ति अंतर्गत स्वीकार करने और अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि राजस्व प्राधिकरण के पास अंतर्गत ई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जिसे राजस्व प्राधिकरण/तहसीलदार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।250 एम. पी. एल. आर. सी. को खारिज कर दिया गया-इसके बाद, प्रत्यर्थियों के लिए यह आपत्ति लेने के लिए खुला नहीं था कि दीवानी न्यायालय के समक्ष मुकदमे को भी एस के मद्देनजर प्रतिबंधित किया जाएगा।257 एम. पी. एल. आर. सी. का-यदि प्रत्यर्थियों की ओर से निवेदन स्वीकार किया जाता है, तो उस मामले में, अपीलकर्ता उपचारहीन होगा-मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, दीवानी न्यायालय ने शिकायत को अस्वीकार करने से सही ढंग से

इनकार कर दिया-दीवानी न्यायालय की फाइल पर मुकदमा बहाल किया गया-दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908-या 7 आर।11 – एमपी भूमि राजस्व संहिता, 1959 -s.250।

/

/

/

/

/

/

826

827

पी. आर. एम. एल. ए. टी. ए. @सुनीता बनाम एन. ए. एस. ई. ई. बी. ई. एंड ओ. आर. एस.

/

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया :उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की बिल्कुल भी सराहना नहीं की है कि जब अपीलकर्ता-मूल वादी ने राजस्व प्राधिकरण/तहसीलदार से संपर्क किया, तो वह इस आधार पर गैर-उपयुक्त था कि राजस्व प्राधिकरण/तहसीलदार के पास मुकदमे की संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में विवाद का फैसला करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।इसके बाद, जब मुकदमा दायर किया गया, तो प्रत्यर्थियों-प्रतिवादियों ने एक विपरीत रुख अपनाया कि दीवानी मुकदमे पर भी रोक लगा दी जाएगी।उस मामले में मूल वादी उपचारहीन होगा।किसी भी मामले में उत्तरदाताओं-मूल प्रतिवादियों को राजस्व प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदन और खंडन करने और केवल एक विपरीत रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, निचली न्यायालय ने आदेश **7** नियम **11** सी. पी. सी. के अंतर्गत आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया और शिकायत को सही तरीके से खारिज करने से इनकार कर दिया।उच्च न्यायालय ने आदेश **7** नियम **11** सी. पी. सी. के अंतर्गत आवेदन को अनुमति देने और इस आधार पर वाद को खारिज करने में एक गंभीर त्रुटि की कि एम. पी. एल. आर. सी. की धारा **257** को देखते हुए मुकदमे पर रोक लगा दी जाएगी। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अस्थिर है और इसे दरकिनार किया जा सकता है। **[**पैरा **4] [830-**ए-डी**]**

/

/

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील संख्या 2055-2056।

/

2019 के सी. आर. <आई. डी. 1 में जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 3 के निर्णय और आदेश और 2020 के आर. पी. <आई. डी. 4 में दिनांकित 10.08.2020 के आदेश से।

अमित देशपांडे, वरिष्ठ अधिवक्ता, अक्षत श्रीवास्तव, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

वीर विक्रांत सिंह, डी. ए. जी., डॉ. जे. पी. ढांडा, सुश्री राज रानी, सनी चौधरी, सुशील तोमर, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

/

1. 2019 के सिविल संशोधन आवेदन No.385 में जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 27.11.2019 के आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना, जिसके द्वारा

/

828

/

[2022] 1 एस सी आर।

/

उच्च न्यायालय ने उक्त पुनरीक्षण आवेदन को अनुज्ञात कर लिया है और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 (इसके बाद 'सी. पी. सी.' के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत आवेदन को खारिज कर दिया गया है, जिसमें मूल प्रतिवादी हैं और परिणामस्वरूप आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के अंतर्गत उक्त आवेदन को अनुमति दी गई है और शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि मुकदमा एम. पी. भूमि राजस्व संहिता, 1959 (इसके बाद 'एम. पी. एल. आर. सी.' के रूप में संदर्भित) की धारा 257 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्जित किया जाएगा, मूल वादी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

/

2. संक्षेप में वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:2.1 कि इसमें अपीलकर्ता-मूल वादी ने शुरू में एम. पी. एल. आर. सी. की धारा 250 के अंतर्गत राजस्व प्राधिकरण/तहसीलदार के समक्ष मूल कार्यवाही दायर की। यहाँ उत्तरदाताओं-मूल प्रतिवादियों ने एम. पी. एल. आर. सी. की धारा 250 और राजस्व प्राधिकरण/तहसीलदार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आवेदन की रखरखाव के खिलाफ आपत्ति जताई।तहसीलदार ने प्रत्यर्थियों की ओर से उठाई गई आपत्ति को स्वीकार करते हुए उक्त आवेदन को खारिज कर दिया और कहा कि चूंकि मामले में शामिल प्रश्न स्वामित्व से संबंधित है, इसलिए एम. पी. एल. आर. सी. की धारा 250 के अंतर्गत प्रावधानों को आकर्षित नहीं किया जाएगा।इसके बाद अपीलार्थी ने तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए एम. पी. एल. आर. सी. की धारा 44 के अंतर्गत एस. डी. ओ. के समक्ष अपील की।तथापि, उक्त अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थी ने कब्जे और निषेधाज्ञा की वसूली के लिए विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष वर्तमान मुकदमा दायर किया।मुकदमे का नोटिस दिए जाने के बाद, प्रतिवादियों ने आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया और इस आधार पर शिकायत को अस्वीकार करने का अनुरोध किया कि सिविल कोर्ट के समक्ष मुकदमे को एम. पी. एल. आर. सी. की धारा 257 पर विचार करने से रोक दिया जाएगा। विद्वत सिविल न्यायालय ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया और आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाद को अस्वीकार करने से इनकार कर दिया। कथित अस्वीकृति के खिलाफ प्रतिवादियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2019 के सिविल संशोधन आवेदन No.385 को प्राथमिकता दी।

/

/

/

/

2.2 आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण आवेदन को अनुज्ञात है और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया है और परिणामस्वरूप आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के अंतर्गत आवेदन को अनुज्ञात है और यह मानते हुए वाद को खारिज कर दिया है कि एम. पी. एल. आर. सी. की धारा 257 को देखते हुए दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वर्जित है।2.3 कि पुनरीक्षण आवेदन के लंबित रहने के दौरान वादी द्वारा दायर अपील ए की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन को अस्वीकार कर देती है।

/

/

एम. पी. एल. आर. सी. को खारिज कर दिया गया जिसे उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण आवेदन की अंतिम सुनवाई के समय इंगित नहीं किया गया था, अपीलार्थी ने यहां उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया।उक्त समीक्षा आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

2.4 2019 के सिविल संशोधन आवेदन No.385 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश और 2020 की समीक्षा याचिका No.725 में पारित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल वादी ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

/

3. हमने संबंधित पक्षों के लिए विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

/

4. शुरुआत में, यह नोट किया जाना आवश्यक है और यह विवाद में नहीं है कि वादी ने एम. पी. एल. आर. सी. की धारा 250 के अंतर्गत राजस्व प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही शुरू की। इन प्रतिवादियों ने राजस्व प्राधिकरण के समक्ष आपत्ति जताई कि राजस्व प्राधिकरण के पास इस मामले से निपटने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।तहसीलदार ने उक्त आपत्ति को स्वीकार कर लिया और एम. पी. एल. आर. सी. की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चूंकि विवाद स्वामित्व के संबंध में है, इसलिए राजस्व प्राधिकरण के पास एम. पी. एल. आर. सी. के अंतर्गत कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। तहसीलदार द्वारा पारित उक्त आदेश की पुष्टि अपीलीय प्राधिकरण द्वारा की गई है (निश्चित रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन के लंबित रहने के दौरान)।तहसीलदार द्वारा एम. पी. एल. आर. सी. की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन को इस आधार पर खारिज करने का आदेश पारित करने के बाद कि राजस्व प्राधिकरण के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जो कि मूल प्रतिवादियों द्वारा उठाई गई आपत्ति पर था, वादी ने दीवानी न्यायालय के समक्ष एक मुकदमा दायर किया।दीवानी न्यायालय के समक्ष प्रतिवादियों-मूल प्रतिवादियों ने बस एक विपरीत रुख अपनाया जो उनके द्वारा राजस्व प्राधिकरण के समक्ष लिया गया था और दीवानी न्यायालय के समक्ष प्रतिवादियों ने आपत्ति जताई कि दीवानी न्यायालय को मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। प्रतिवादी-मूल प्रतिवादी को दो अलग-अलग प्राधिकरणों/अदालतों के समक्ष दो विरोधाभासी रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।मूल प्रतिवादियों की ओर से उठाई गई आपत्ति कि राजस्व प्राधिकरण का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, राजस्व प्राधिकरण/तहसीलदार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद उन्हें अनुमोदन और खंडन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और एम. पी. एल. आर. सी. की धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही खारिज कर दी गई और

उसके बाद जब वादी ने सिविल न्यायालय के समक्ष मुकदमा दायर किया तो यह प्रतिवादियों के लिए खुला नहीं था-इसके बाद मूल प्रतिवादियों को आपत्ति लेने के लिए कि एम. पी. एल. आर. सी. की धारा 257 को देखते हुए सिविल न्यायालय के समक्ष मुकदमे को भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यदि प्रस्तुत करना

/

/

/

/

/

उत्तरदाताओं की ओर से-प्रतिवादियों को स्वीकार किया जाता है उस मामले में मूल वादी उपचारहीन होगा।उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की बिल्कुल भी सराहना नहीं की है कि जब अपीलकर्ता-मूल वादी ने राजस्व प्राधिकरण/तहसीलदार से संपर्क किया तो वह इस आधार पर गैर-उपयुक्त था कि राजस्व प्राधिकरण/तहसीलदार को मुकदमे की संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में विवाद का फैसला करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।इसके बाद जब मुकदमा दायर किया गया और प्रतिवादियों ने एक विपरीत रुख अपनाया कि दीवानी मुकदमे पर भी रोक लगा दी जाएगी।उस मामले में मूल वादी उपचारहीन होगा।किसी भी मामले में उत्तरदाताओं-मूल प्रतिवादियों को राजस्व प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदन और खंडन करने और केवल एक विपरीत रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विद्वत विचारण न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के अंतर्गत आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया और शिकायत को सही ढंग से अस्वीकार करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के अंतर्गत आवेदन को अनुमति देने और इस आधार पर वाद को खारिज करने में एक गंभीर त्रुटि की है कि एम. पी. एल. आर. सी. की धारा 257 को देखते हुए मुकदमा प्रतिबंधित किया जाएगा। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अस्थिर है और इसे दरकिनार किया जा सकता है।

/

/

/

5. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती हैं। 2019 के सिविल संशोधन आवेदन No.385 में उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 27.11.2019 द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश ने इसे अनुमति दी और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त करते हुए दिया और परिणामस्वरूप आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के अंतर्गत वाद को खारिज कर दिया गया।विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के अंतर्गत आवेदन को अस्वीकार करते हुए पारित आदेश को एतद्द्वारा बहाल किया जाता है और विद्वत विचारण न्यायालय की फाइल पर मुकदमा बहाल किया जाता है।अब मुकदमा विधि के अनुसार और अपने गुण-दोष के आधार पर आगे बढ़ाया जाए।

/

/

तदनुसार वर्तमान अपीलों की अनुज्ञात जाती है।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

/

अपीलों की अनुज्ञात गई।

/

/